सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2020/00071

न्यायालय : अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर०ए०एस०

निगरानी प्रकरण सं० 27/2020

1. देवीलाल पुत्र श्री रघुनाथ जाति बांवरी आयु 80 वर्ष निवासी कालवारीया ग्राम पंचायत बहरामपुरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत बहरामपुरा बोदला पंचायत समिति सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बहरामपुरा बोदला।
2. ग्राम पंचायत बहरामपुरा बोदला पंचायत समिति सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर, जरिये सचिव ग्राम पंचायत बहरामपुरा बोदला।

गैरनिगरानीकर्ता

उपस्थित :

1. श्री रामनाथ भाटी अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री संतकुमार अधिववक्ता गैरनिगरानीकर्ता

:: आदेश :: दिनांक :– 30.07.2020

प्रस्तुत निगरानी का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता स्थाई रूप से ग्राम पंचायत बहरामपुरा बोदला का वाशिंदा है। उक्त ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 11 में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या 198 पर वर्ष 1949 से प्रार्थी के पिता रधुनाथ के नाम से आवंटन रिकार्ड दर्ज है जो प्रार्थी के पिता को वर्ष 1949 में आवंटित हुआ था जिसकी लम्बाई कमशः दक्षिण में 90 फुट, उत्तर दिशा में 80 फुट, पूर्व दिशा में 60 फुट व पश्चिम दिशा में 60 फुट है। पूर्व में उक्त प्लाट/मकन में प्रार्थी के पिता का वर्ष 1949 से लेकर 1980 तक कब्जा था तथा उनकी मृत्यु के बाद वर्ष 1980 से लेकर लगातार प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने पिता रधुनाथ के नाम से उक्त मकान/प्लाट संख्या 198 का दिनांक 01.10.1949 से 26.09.1975 तक किराया राशि 280.60 रूपये व उसके बाद उक्त मकान की कुल कीमत दिनांक 1.10.1975 को 300/– रूपये जमा करवा दी थी। इस प्रकार उक्त मकान की कुल राशि 580.60/–रूपये तहसील सादुलशहर को जमा करवाकर उक्त प्लाट/मकान जो पूर्व में कस्टोडियन विभाग का था, को आवासीय भूखण्ड के रूप में परिवर्तित करवाकर प्रार्थी के पिता के नाम आवंटित करवाया था। प्रार्थी ने अपने पिता के रिहायशी उक्त मकान/प्लाट में 3 कमरे, एक दरवाया बनाया हुआ है तथा प्रार्थी के उक्त मकान की पश्चिम दिशा में गली आम की ओर प्रार्थी ने गली की जगह को छोड़कर आज से करीब 25 वर्ष पूर्व 24X10 फुट की चारदीवारी ऊंचाई करीब 8 फुट कर एक छपरे का निर्माण किया था जिसमें प्रार्थी अपने पशुओं का बांधता है तथा उनके लिए चारा रखता है तथा अन्य घरेलू उपयोग के सामान रखता है। उक्त छप्परे की जगह को छोड़कर करीब 21 फुट रास्ता आम है जिसमें लोग आवागमन करते है। उक्त छप्परे को पूर्व में ग्राम पंचायत के किसी भी सरपंच अथवा सचिव द्वारा अतिकमी घोषित नहीं किया गया तथा ना ही उक्त ग्राम पंचायत के किसी नागरिक द्वारा रास्ता आम में

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

आवागमन में किसी प्रकार की बाधा होने की शिकायत की। प्रार्थी द्वारा अपने रिहायशीशुदा उक्त मकान/प्लाट का पट्टा पंचायत से जारी करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा लगाये प्रशासन गांव के संग अभियान में आवेदन दिनांक 21.01.2013 में प्रस्तुत किया था जिसे ग्राम पंचायत द्वारा जारी कर दिया था लेकिन बाद में प्रार्थी से यह कहते हुए पट्टा ग्राम पंचायत ने वापिस जमा करवा लिया कि उक्त अभियान में बनाये गये समस्त पट्टों का प्रमाणीकरण विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा किया जाना है। उसके बाद प्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करने की मांग की गई लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे की कार्यवाही को लम्बित होना बताकर प्रार्थी के उक्त मकान का पट्टा जारी होने के बावजूद भी प्रार्थी को उक्त मकान का पट्टा नहीं दिया गया है। वर्ष 2020 में हुए पंचायतीराज चुनाव में नवनिर्वाचित सरपंच परवेन्द्र खीचड़ पंचायतीराज चुनाव के दौरान ही प्रार्थी से चुनावी मतभेद होने के कारण चुनावी रंजिश रखने लगा था तथा सरपंच पद पर निर्वाचित होने के बाद पूर्व में प्रार्थी को कई बार मौखिक रूप से धमकी दी थी कि वह प्रार्थी के मकान को अतिक्रमी घोषित करवाकर तुड़वाकर रहेगा। प्रार्थी के मकान के पश्चिमी दिशा में बनाये गये छपरा को कमरा मानते हुए गली आम में अतिक्रमी मानते हुए प्रथम नोटिस 08.06.2020 व द्वितीय नोटिस दिनांक 20.06.2020 दिया गया है। ग्राम पंचायत बहरामपुरा बोदला का आदेश/नोटिस कमांक 50 दिनांक 08.06.20 व द्वितीय नोटिस कमांक 63 दिनांक 20.06.20 कतई गलत व विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। क्योंकि प्रार्थी द्वारा छप्परा का उपयोग अपने पशुओं को बांधने, घरेलू सामन रखने के लिए लगतार करता आ रहा है। उक्त छपरा से किसी भी नागरिक को रास्ता आम में आने जाने हेतु कोई बाधा कारित नहीं होती। रास्ता आम के आवागमन में किसी तरह की बाधा होने की शिकायत पिछले 40 वर्षो से किसी भी ग्रामीण द्वारा ग्राम पंचायत में नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा नोटिस प्राप्त होने के बाद लगातार उक्त ग्राम पंचायत के सचिव व अप्रार्थी संख्या 2 के पास उपस्थित होकर सूचना के अधिकार के तहत उक्त ग्राम पंचायत से रास्ता आम की लम्बाई चौड़ाई का ज्ञान प्राप्त करने हेतु रास्ता का नक्शा प्राप्त करने का आवेदन प्रस्तुत किया था परन्तु अप्रार्थी संख्या 02 रास्ता आम का नक्शा देने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना के अधिकार का आवेदन लेने से मना कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये प्रथम नोटिस कमांक 50 दिनांक 08.06.20 का जबाब प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 12.06.20 को दस्तावेज सहित दिया जा चुका है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी ने जबाब के साथ प्रस्तुत किये नकदी चालान रसीद को प्रार्थी को मकान का मालिकाना हक न मानकर प्रार्थी को अतिक्रमी होने का द्वितीय नोटिस दिया गया है जो कतई गलत व विधि विरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्व आदेश/नोटिस 50 दिनांक 08.06.20 व द्वितीय नोटिस कमांक 63 दिनांक 20.06.20 ग्राम पंचायत बहरामपुरा बोदला, जिसकी रूह से अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को उक्त ग्राम पंचायत में अपने रिहायशी भूखण्ड संख्या 198 की पश्चिम दिशा में रास्ता आम को छोड़कर बनाये गये छप्परा को विधि विरूद्व रूप से अतिक्रमी मानते हुए हटाये जाने की कार्यवाही किये जाने का प्रयास किया जा रहा है को खारिज किये जाने का आदेश दिया जावें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

निगरानी से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि निगरानीकर्ता स्थाई रूप से ग्राम पंचायत बहरामपुरा बोदला का वाशिंदा है। उक्त ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 11 में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या 198 पर वर्ष 1949 से प्रार्थी के पिता रधुनाथ के नाम से आवंटन रिकार्ड दर्ज है। जिसकी लम्बाई कमशः दक्षिण में 90 फुट, उत्तर दिशा में 80 फुट, पूर्व दिशा में 60 फुट व पश्चिम दिशा में 60 फुट है। पूर्व में उक्त प्लाट/मकन में प्रार्थी के पिता का वर्ष 1949 से लेकर 1980 तक कब्जा था तथा उनकी मृत्यु के बाद वर्ष 1980 से लेकर लगातार प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने पिता रधुनाथ के नाम से उक्त मकान/प्लाट संख्या 198 का दिनांक 01.10.1949 से 26.09.1975 तक किराया राशि 280.60 रूपये व उसके बाद उक्त मकान की कुल कीमत दिनांक 1.10.1975 को 300/– रूपये जमा करवा दी थी। इस प्रकार उक्त मकान की कुल राशि 580.60/–रूपये तहसील सादुलशहर को जमा करवाकर उक्त प्लाट/मकान जो पूर्व में कस्टोडियन विभाग का था, को आवासीय भूखण्ड के रूप में परिवर्तित करवाकर प्रार्थी के पिता के नाम आवंटित करवाया था। प्रार्थी ने गली आम की ओर प्रार्थी ने गली की जगह को छोड़कर आज से करीब 25 वर्ष पूर्व 24X10 फुट की चारदीवारी ऊंचाई करीब 8 फुट कर एक छपरे का निर्माण किया था जिसमें प्रार्थी अपने पशुओं का बांधता है तथा उनके लिए चारा रखता है तथा अन्य घरेलू उपयोग के सामान रखता है। उक्त छप्परे की जगह को छोड़कर करीब 21 फुट रास्ता आम है जिसमें लोग आवागमन करते है। उक्त छप्परे को पूर्व में ग्राम पंचायत के किसी भी सरपंच अथवा सचिव द्वारा अतिक्रमी घोषित नहीं किया गया तथा ना ही उक्त ग्राम पंचायत के किसी नागरिक द्वारा रास्ता आम में आवागमन में किसी प्रकार की बाधा होने की शिकायत की। प्रार्थी द्वारा अपने रिहायशीशुदा उक्त मकान/प्लाट का पट्टा पंचायत से जारी करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा लगाये प्रशासन गांव के संग अभियान में आवेदन दिनांक 21.01.2013 में प्रस्तुत किया था जिसे ग्राम पंचायत द्वारा जारी कर दिया था। वर्ष 2020 में हुए पंचायतीराज चुनाव में नवनिर्वाचित सरपंच परवेन्द्र खीचड़ पंचायतीराज चुनाव के दौरान ही प्रार्थी से चुनावी मतभेद होने के कारण चुनावी रंजिश रखने लगा। सरपंच पद पर निर्वाचित होने के पर प्रार्थी को कई बार मौखिक रूप से धमकी दी कि वह प्रार्थी के मकान को अतिक्रमी घोषित करवाकर तुड़वाकर रहेगा। प्रार्थी को अतिक्रमी मानते हुए प्रथम नोटिस 08.06.2020 व द्वितीय नोटिस दिनांक 20.06.2020 दिया गया है। प्रार्थी द्वारा छप्परा का उपयोग अपने पशुओं को बांधने, घरेलू सामन रखने के लिए लगतार करता आ रहा है। उक्त छपरा से किसी भी नागरिक को रास्ता आम में आने जाने हेतु कोई बाधा कारित नहीं होती। रास्ता आम के आवागमन में किसी तरह की बाधा होने की शिकायत पिछले 40 वर्षो से किसी भी ग्रामीण द्वारा ग्राम पंचायत में नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा नोटिस प्राप्त होने के बाद सचिव व अप्रार्थी संख्या 2 के पास उपस्थित होकर सूचना के अधिकार के तहत उक्त ग्राम पंचायत से रास्ता आम की लम्बाई चौड़ाई का ज्ञान प्राप्त करने हेतु रास्ता का नक्शा प्राप्त करने का आवेदन प्रस्तुत किया था परन्तु अप्रार्थी संख्या 02 रास्ता आम

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

का नक्शा देने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये प्रथम नोटिस कमांक 50 दिनांक 08.06.20 का जबाब प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 12.06.20 को दस्तावेज सहित दिया गया लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के जबाब के साथ प्रस्तुत किये नकदी चालान रसीद को प्रार्थी के मकान का मालिकाना हक न मानकर प्रार्थी को अतिक्रमी होने का द्वितीय नोटिस दिया गया है जो कतई गलत व विधि विरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः निगरानीकर्ता की स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा रिहायशी भूखण्ड संख्या 198 की पश्चिम दिशा में रास्ता आम को छोड़कर बनाये गये छप्परा को विधि विरूद्व रूप से अतिक्रमी मानते हुए हटाये जाने की कार्यवाही को खारिज किये जाने का आदेश दिया जावें।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अहाता संख्या 198 का कोई पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया क्योंकि उक्त अहाता संख्या 198 खसरा रजिस्ट्रर अनुसार ममू अली गनी पिशरान रानाशाह कौम मुस्लमान बोदला के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज रिकॉर्ड है। ममू अली गनी पिशरान रानाशाह कौम मुस्लमान बोदला के नाम दर्ज रिकॉर्ड का पट्टा अगर ग्राम पंचायत निगरानीकर्ता के नाम जारी करती है तो ग्राम पंचायत दोषी साबित होगी। निगरानीकर्ता द्वारा कोई रजि0 दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि ममू अली गनी पिशरान रानाशाह कौम मुस्लमान बोदला से उक्त आहाता लिया गया हो। ग्राम पंचायत बहरामपुरा बोदला का खसरा रजिस्ट्र वर्ष 1958 से संधारित है। किसी के नाम से जारी पट्टा को सैलडीड से ट्रांसफर किया जा सकता है। अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत रसीद/नोटिस कार्यालय सैटिलमेन्ट ऑफिसर श्रीगंगानगर के हस्ताक्षर से जारी है जो जमीन आवंटन से सम्बन्धित है। ग्राम पंचायत की भूमि पर किसी प्रकार की अगर राशि जमा करवाई जाती है तो वह ग्राम पंचायत द्वारा जमा करवाई जाती है। निगरानीकर्ता की पट्टा से सम्बन्धित मिसल खारिज हुई उसके विरूद्व निगरानीकर्ता द्वारा कोई निगरानी पेश नहीं की गई जबकि अब एक अतिक्रमी के नोटिस के खिलाफ निगरानी लेकर आये है । नोटिस के खिलाफ निगरानी पेश नहीं कर सकते । धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत पट्टा मिसल निरस्त हुई हो तब निगरानी पेश करने के अधिकारी है एवं जिन व्यक्तियों द्वारा निगरानीकर्ता के अतिक्रमण के खिलाफ प्रार्थना पत्र पेश किया उनको निगरानी में पार्टी नहीं बनाया गया, अतिक्रमण के खिलाफ जारी नोटिस के विरूद्व निगरानी पेश नहीं की जा सकती है क्योंकि नोटिस एक अन्तरिम आदेश है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज फरमाई जाकर अतिक्रमण हटाये जाने हेतु जारी अन्तरिम नोटिस को बहाल रखा जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अहाता संख्या 198 का कोई पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया क्योंकि उक्त अहाता संख्या 198 खसरा रजिस्ट्रर अनुसार ममू अली गनी पिशरान रानाशाह कौम मुस्लमान बोदला के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज रिकॉर्ड है एवंम निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत बहरामपुराबोदला में पट्टा हेतु प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें पंच कमेटी की रिपोर्ट अनुसार पत्रावली खारिज की गई है। निगरानीकर्ता द्वारा कुछ रसीदें प्रस्तुत की गई जो कस्टोडियन विभाग द्वारा जारी की गई

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

है परन्तु इनसे यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त रसीदें विवादित प्लाट से सम्बन्धित है। गैरनिगरानीकर्ता द्वारा विवादित भूखण्ड से सम्बन्धित जो फोटो प्रस्तुत की गई है उनके अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि उक्त विवादित भूमि 24X10 फुट रास्ता आम में है जो अतिक्रमण की परिभाषा में आने के कारण निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। फलस्वरूप उक्त विवादित भूमि के गली आम में अतिक्रमण होना पाये जाने से निगरानी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 30.07.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. गुंजन सोनी)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner